भाग 1 8260/13

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला।

उपनिबंधक कार्यालय क्रम सं0 12592

सदर

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक . 16-Jul-2013

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम आरिफ रहमान उर्फ आरिफ मोहम्मद / पैन कार्ड

लेख का प्रकार विक्रय अनुबंध विलेख

प्रतिफल की धनराशि 0.00 / 9,630,000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 10,000.0
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 60
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुख्तारनामा के अधिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 10,060.0

शुल्क वसूल करने का दिनांक 16-Jul-2013

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र

वापस करने के लिए तैयार किया 16-Jul-2013

उपनिबंधक

सदर चन्दौसी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

8260/13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202553

674340/-

डेवलपर्स विलेख

श्री आरिफ रहमान उर्फ आरिफ मोहम्मद एवं श्री खालिद जमाल पुत्रगण स्व0 अनिर्सुरहमान निवासीगण मकान नं0 बी.18/205–2 मालती बाग वाराणसी। .... प्रथम पक्ष/भू–स्वामी।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एम० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कामर्शियल वाराणसी
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

9/7/13
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202555

(2)

व

एम.एम. एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स रजिस्टर्ड कार्यालय मकान नं0 बी.21/51–आर–2– प्रथमतल तल कमच्छा, वाराणसी जरिये साझीदार मे0 रुद्रा रियलटेक प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय सी0 27/273 सी–13, दास नगर कालोनी, मलदहिया, वाराणसी जरिये डायरेक्टर आनन्द कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 अशोक कुमार अग्रवाल निवासी सीके0 65/159ए, पियरीकला, चौक, वाराणसी।

.... द्वितीय पक्ष/डेवलपर्स।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एस० स्पोर्टिंग एण्ड डेवलपर्स कम्पनी वाराणसी
जरिये आनन्द अग्रवाल

9/7/13
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

विक्रय अनुबंध विलेख

9,630,000.00		10.000.00	60	10,060.00	2,800
प्रतिफल	मालियत अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री आरिफ रहमान उर्फ आरिफ मोहम्मद / पैन कार्ड न0
पुत्र श्री स्व0 अनिसुर्रहमान
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी मालतीबाग शहर वाराणसी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/7/2013 समय 2:26PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जे0 के0 यादव, प्रभारी
उप निबन्धक, चन्दौली
चन्दौली
16/7/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री आरिफ रहमान उर्फ आरिफ मोहम्मद / पैन कार्ड न0
पुत्र श्री स्व0 अनिसुर्रहमान
पेशा व्यापार
निवासी मालतीबाग शहर वाराणसी

श्री खालिद जमाल / पास पोर्ट
पुत्र श्री स्व0 अनिसुर्रहमान
पेशा व्यापार
निवासी मालतीबाग शहर वाराणसी

क्रेता

श्री आनन्द कुमार अग्रवाल जरिये डायरेक्टर / पैन कार्ड न0ABIPA8512c
पुत्र श्री स्व0 अशोक कुमार अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी पियरीकला चौक वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रूपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202554

(3)

विदित हो कि आराजी नं0 512 मि0 रकबा 0. 739 हे0 स्थित मौजा गोधना, परगना धूस, तहसील व जिला चन्दौली एकमात्र प्रथम पक्षगण के स्वामित्व एवं अध्यासन में चली आ रही है, जो हम प्रथमपक्ष को अपनी माता सकीना बीबी पत्नि स्व0 अनिर्सुरहमान से बक्शीशनामा द्वारा प्राप्त हुई है तथा उन्होंने खरपत्तू पुत्र खुड़बुड़ व रामा पुत्र

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एस० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स के मार्फत [illegible]
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

9/7/13
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री जयप्रकाश मिश्रा
पुत्र श्री स्व0 श्यामजी मिश्रा
पेशा व्यापार
निवासी कमच्छा शहर वाराणसी

व श्री प्रमोद तिवारी एड0
पुत्र श्री
पेशा वकालत
निवासी चन्दौली

ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जे0 के0 यादव , प्रभारी
उप निबन्धक, चन्दौली
चन्दौली
16/7/2013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202556

(4)

भिक्खु निवासी महेवा नई बस्ती परगना धूस डाकखाना मुगलसराय जिला वाराणसी वर्तमान में जिला चन्दौली से दिनॉक 09.08.1988 को कय किया था। जो कि सब रजिस्ट्रार चन्दौली के कार्यालय में बही सखॅया 1 जिल्द नं0 1998 के पृष्ठ 125/127 के कमांक संख्या 3598 पर दिनॉक 27.10.1988 को दर्ज है उपरोक्त वर्णित जायदाद पर

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एम० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कम्पनी वाराणसी
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

9/7/13
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

विक्रेता

Registration No.: 8260 Year: 2,013 Book No.: 1

0101 आरिफ रहमान उर्फ़आरिफ मोहम्मद / पैन कार्ड न0

स्व0 अनिसुर्रहमान

मालतीबाग शहर वाराणसी

व्यापार

0102 खालिद जमाल / पास पोर्ट

स्व0 अनिसुर्रहमान

मालतीबाग शहर वाराणसी

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202557

(5)

हम प्रथम पक्षगण बतौर मालिक काबिज दखील रहकर उसका हर तरह से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है एवं जायदाद मजकूर हर लाइसेंसी किरायेदारी सट्टा आदि से बाधित नहीं है, और न ही उपरोक्त सम्पत्ति कही रेहन, सट्टा, मुकदमें में विचाराधीन, निषेधाज्ञा, सदमा, कुर्की, जेर जमानत आदि से सम्बद्ध है। प्रथम पक्ष की दिली ख्वाहिश है

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एम० एग्रोटेक एंड डेवलपर्स कान्दवा वाराणसी
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

9/7/13
मुख्य रोकड़िया

कोषागार चन्दौली

क्रेता

Registration No. : 8260 Year : 2,013 Book No. : 1

0201 आनन्द कुमार अग्रवाल जरिये डायरेक्टर / पैन कार्ड न0ABIPA

स्व0 अशोक कुमार अग्रवाल

विश्वेश्वरगंज चौक वाराणसी

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202558

(6)

कि वह उपरोक्त जायदाद पर बहुमंजिली आवासीय भवन, व्यावसायिक भवन एवं एकल स्वामित्व डुपलैक्स भवनों का निर्माण करें परन्तु तकनीकी जानकारी के अभाव में हम प्रथम पक्षगण योजना को मूर्त रूप देने में स्वयं को असमर्थ पा रहे है, इसलिए हम प्रथम पक्षगण ने द्वितीय पक्ष एम.एम. एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स रजिस्टर्ड कार्यालय मकान

K. Jain

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एम० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स जगतगंज वाराणसी
जरिये अभय कुमार अग्रवाल

9/2/12
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000 बीस हजार रूपये

TWENTY THOUSAND RUPEES Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202559

- 9 JUL 2018

(7)

नं0 बी.21/51–आर–2– प्रथमतल तल कमच्छा, वाराणसी जरिये साझीदार मे0 रुद्रा रियलटेक प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय सी0 27/273 सी–13, दास नगर कालोनी, मलदहिया, वाराणसी जरिये डायरेक्टर आनन्द कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 अशोक कुमार अग्रवाल निवासी सीके0 65/159ए, पियरीकला, चौक, वाराणसी।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एम० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कमच्छा वाराणसी
द्वारा आनन्द कुमार अग्रवाल

मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202560

से प्रस्ताव किया कि द्वितीय पक्ष, हम प्रथम पक्ष की जमीन पर अपने खर्च से बहुमंजिली आवासीय भवन, व्यावसायिक भवनों का निर्माण करें एवं बदले में निर्मित अनिर्मित एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में 72 प्रतिशत हिस्से का भाग (मय जमीन के साथ) रख ले या अपने नामिनी या किसी अन्य के हक में अपने हिस्से का बैनामा, सट्टा किरायेदारी लीज आदि

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एस० एम० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कामाख्या वाराणसी
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

9/7/13
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000 TWENTY THOUSAND RUPEES

बीस हजार रूपये Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202561

करें उससे प्रथम पक्ष को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा। उस पर द्वितीय पक्ष ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए प्रथम पक्षगण के प्रस्ताव को कबूल व मंजूर कर लिया लिहाजा पक्षकारगण स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन से बिना किसी दबाव के स्वस्थ मस्तिष्क से प्रथम पक्षगण जमीन मालिक व द्वितीय पक्ष डेवलपर्स अपने वारिसानों व कायम मुकामानों के

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एम० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स जनपद वाराणसी
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

मुकेश रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202562

साथ अग्रलिखित शर्तों व नियमों के आधार पर एक दूसरे को पाबंद करते व होते हैं :–

1. यह कि प्रथमपक्ष जायदाद मजकूर जिसका विस्तृत विवरण वसीका हाजा के अन्त में अनुसूची–प्रथम में दिया गया है, के मालिकान है और जायदाद मजकूर हर प्रकार के वारदेन से पाक साफ हैं

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

का०कि०
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202563

(11)

2. यह कि जायदाद मजकूर में स्वामित्व सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई विवाद नही है और यदि कोई विवाद परिलक्षित होता है या किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है तो उसे समाप्त कराने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की है और भविष्य में भी होगी। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दावा किया जाता है और

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एम० स्पोर्टस एण्ड डेवलपर्स कमच्छा वाराणसी
प्रोप्रा० आनन्द कुमार आजाद

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

9 JUL 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202564

उसकी वजह से द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी।

3. यह कि जायदाद मजकूर में किसी प्रकार की कोई मांग किसी शासकीय अथवा अर्द्ध–शासकीय विभाग का देय नही है और ना तो किसी महाजन अथवा बैंक अथवा कम्पनी

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एम० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कम्पनी वाराणसी
द्वारा आनन्द कुमार अग्रवाल

9/1/13
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु.20000
बीस हजार रुपये
TWENTY THOUSAND RUPEES
Rs.20000
सत्यमेव जयते
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
A 202565

आदि से उक्त सम्पत्ति के समबन्ध में ऋण लिया गया है। इसके विपरीत यदि कोई तथ्य पाया जाता है तो उसकी देनदारी प्रथमपक्ष की है और होगी।

4. यह कि "डेवलपर्स अनुबन्ध" के आधार पर बहुमंजिली इमारत निर्मित हो जाने के पश्चात वी0डी0ए0 खर्च, सिटी डेवलपर्स चार्ज, सर्विस

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एम० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कम्पनी वाराणसी
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

9/7/13

मुख्य रोकड़िया

कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202566

(14)

टैक्स, कम्पाउण्डिग/तवान का खर्च व अन्य खर्च काटकर ही उसका 72 प्रतिशत अंश द्वितीयपक्ष का होगा तथा शेष 28 प्रतिशत अंश प्रथमपक्षगण का होगा।

5. यह कि द्वितीय पक्ष जायदाद हस्ब तफसील जैल पर बहुमंजिली इमारत का निर्माण करेयेगा और उक्त निर्माण में जो भी धन व्यय होगा उसे

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एस० स्टोरेज एण्ड डेवलपर्स कमच्छा वाराणसी
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

9/12/13
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रूपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202567

लगाने की जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी, उससे प्रथमपक्ष से कोई मतलब सरोकार नही होगा।

6. यह कि सम्पूर्ण निर्माण का 28% (अट्ठाइस प्रतिशत) निर्माण मय आनुपातिक अंश भूमि, जमीन के बदले में प्रथमपक्ष को प्राप्त होगी, उससे द्वितीयपक्ष से कोई मतलब सरोकार नही

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

20000/ रु० एम० एम० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कमच्छा वाराणसी
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

9/7/13
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202568

होगा। इस विलेख के जरिये प्रथमपक्ष को अधिकार प्राप्त है व द्वितीयपक्ष द्वारा भी इस विलेख के जरिये प्रथमपक्ष को अधिकृत किया जा रहा है कि प्रथमपक्ष अपने हस्ताक्षर से अपने अंश के फ्लैट मय आनुपातिक अंश भूमि को अपने मन मुताबिक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को विकय कर सकेंगे, मूल्य प्राप्त करेगे अथवा

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

२०००० | [illegible]
[illegible] आनन्द कुमार अग्रवाल

9/12/13

मुकेश रोकड़िया

कोषागार पन्दोली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202569

उसे रेहन अथवा बंधक रखेंगे, उसका प्रतिफल प्राप्त करेंगे, उससे द्वितीयपक्ष से कोई मतलब सरोकार नही होगा।

7. यह कि उसी प्रकार द्वितीयपक्ष सम्पूर्ण निर्माण में अपने लगे हुए खर्चे के एवज में सम्पूर्ण निर्मित अंश का 72% (बहत्तर प्रतिशत) निर्माण मय आनुपातिक अंश भूमि का मालिक होगा और

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

20000/ एम० एस० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कमच्छा वाराणसी
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

9/7/13
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000 बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES Rs.20000

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 202570

द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने 72% (बहत्तर प्रतिशत) अंश को अपने मन मुताबिक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में अनुबन्ध तहरीर करे, एलाटमेन्ट लेटर जारी करे अथवा इच्छुक केतागण के पक्ष में विकय विलेख निष्पादित करे, उससे प्रथमपक्ष से कोई मतलब सरोकार नही होगा। उक्त विकय विलेख का

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

२००००/ एम० एस० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कार्यालय वाराणसी

द्वारा आनन्द कुमार अग्रवाल

9/2/12

मुख्य रोकड़िया

कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000 बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202571

सम्पूर्ण प्रतिफल द्वितीयपक्ष प्राप्त करेगा। इस विलेख के जरिये प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को अधिकार देते है व अधिकृत करते है व मुख्तार नियुक्त करते है कि द्वितीयपक्ष अकेले अपने हस्ताक्षर से अपने अंश 72% (बहत्तर प्रतिशत) मय अनुपातिक अंश भूमि को अपने मनमुताबिक केतागण को विकय करे, उसकी बाध्यता

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

20000/ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] कुमार अग्रवाल

9/2/13
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषागार चन्दौली

9 JUL 2013

वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202572

प्रथमपक्ष पर भी होगी,उसके सम्बन्ध में प्रथमपक्ष कभी भी कोई एतराज नही करेंगे।

8. यह कि प्रथमपक्ष/भू–स्वामी सम्पूर्ण पार्किंग का 28% (अट्ठाइस प्रतिशत) अंश प्राप्त करेगा व द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता सम्पूर्ण पार्किंग का 72% (बहत्तर प्रतिशत) प्राप्त करेगा व प्रथमपक्ष/भू–स्वामी सम्पूर्ण छत का 28%

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

20000। ई०स्टा०स्टा० स्टाम्प को हेतु पति कमला अग्रवाल।
श्रीमती आनन्द अग्रवाल

मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202573

(21)

(अट्ठाइस प्रतिशत) अंश प्राप्त करेगा व द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता सम्पूर्ण छत का 72% (बहत्तर प्रतिशत) प्राप्त करेगा व प्रथमपक्ष या द्वितीयपक्ष अपने अंश को किसी भी फ्लैट मालिक को छत आवंटित कर सकता है परन्तु आवण्टी छत पर स्थाई निर्माण नही कर सकेगा।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

200001 एम०एम० एग्रोटेक डेवलपर्स कालोनी
द्वारा आनन्द कुमार अग्रवाल

9/7/17
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु.20000
बीस हजार रूपये
TWENTY THOUSAND RUPEES
Rs.20000
सत्यमेव जयते
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
A 202574

9. यह कि द्वितीयपक्ष सम्पूर्ण इमारत में एक समान रुप से समान गुणवत्ता व मानक के अनुसार समान लगायेंगे।

10. यह कि द्वितीयपक्ष मानचित्र स्वीकृत होने से 10 (दस) वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण निमार्ण पूरा कर लेगा और यदि उक्त अवधि के अन्दर सम्पूर्ण निर्माण पूरा नही हो पाता, तो प्रथमपक्ष

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

20000/ [illegible]

[illegible]

9/12/13

मुख्य रोकड़िया

कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000 बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES Rs.20000

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202575

(23)

द्वितीयपक्ष को 12 (बारह) माह का अतिरिक्त समय ओर देगा, परन्तु यदि किसी नोटिस या मुकदमा या नोटिफिकेशन सरकारी या अर्द्ध सरकारी नोटिस के व्यवधान के कारण अथवा किसी दैवी आपदा के कारण अथवा भूकम्प, बाढ, राशनिंग आदि के कारण अथवा कर्फ्यू आदि के कारण कार्य में रुकावट आता है तो

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एम० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कम्पनी वाराणसी
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

9/2/17
दुष्यन्त रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000 बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES Rs.20000

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202576

उकत रुकावट की अवधि का समय अतिरिक्त समय के रुप में द्वितीयपक्ष को अतिरिक्त प्राप्त होगा।

11. यह कि यदि कार्य के दौरान स्वामित्व सम्बन्धी दोष के कारण किसी प्रकार कार्य में रुकावट उतपन्न किया जाता है तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी और उसकी वजह

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एम० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कार्यालय वाराणसी
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

9/2/18
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु. 20000
बीस हजार रुपये
TWENTY THOUSAND RUPEES
Rs. 20000
सत्यमेव जयते
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202577

से जितने समय तक कार्य रुका रहेगा, उक्त समय द्वितीयपक्ष को अतिरिक्त रुप से प्राप्त होगा।

12. यह कि यदि द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के दौरान प्रथम पक्ष की तरफ से कोई अन्य दावेदार उत्पन्न होकर किसी प्रकार की कानूनी अड़चन पैदा कर दे जिस कारण

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

[illegible] वाराणसी
प्रेषित आनन्द कुमार आजाद

9/7/13
मुख्य रोकड़िया
कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202578

(26)

द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य पूर्ण कराना संभव न हो सके या उस वक्त के काबिज हकदारों को किसी प्रकार की असुविधा हो या काबिज हकदारों से उनका हक निकल जाए ऐसी परिस्थिति में प्रथम पक्षगण की जिम्मेदारी होगी कि वह उत्पन्न विवादित मामले को अपने हक से या तो रुपया देकर सुलह समझौता कर

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम-एम० एग्रोटेक एण्ड डेभलपर्स कम्पनीको जानकारी
लिईयो आनन्द कुमार आग्रवाल

9/1/13

ध्रुव रोकड़िया

कोषापार पन्दोवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202579

(27)

विवाद का निस्तारण करें अन्यथा प्रथम पक्ष उस वक्त के काबिज होने वाले हकदारों को क्षतिपूर्ति कानूनी दर के हिसाब से मय ब्याज के साथ रूपया अदा करें इससे द्वितीय पक्ष का कोई वास्ता या सरोकार न होगा, साथ ही यदि द्वितीय पक्ष विवाद के कारण अपने को निर्माण कार्य करने में कानूनी रूप से पूर्णतया असमर्थ

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

[illegible] कम्प्यूटर [illegible] [illegible] [illegible]

जरिये आनन्द कुमार [illegible]

9/7/13

हृदय रोकड़िया

कोषाधार पन्दोली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202580

(28)

पाता है तो उस स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि उसके द्वारा कुल खर्च किये गये रकम को प्रथम पक्षगण व उनके वारिसानों की सम्पत्तियों से बैंक ब्याज की दर के साथ वसूल लें। इसमें प्रथम पक्षगण को कोई आपत्ति नहीं है।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एस० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कलकत्ता वाराणसी
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल"

9/1/13

मुख्य रोकड़िया

कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202581

13. यह कि प्रथमपक्ष ने आज द्वितीयपक्ष को जमीन मजकूर पर कब्जा दखल करा दिया ओर द्वितीयपक्ष बहैसियत बिल्डर/डेवलपर जमीन पर काबिज होकर निर्माण कार्य करे, उसमें अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार प्रथमपक्ष को न होगा।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

... इच्छुक ... इकाईले कार्यालयको वारेमा

जिल्ले आनन्द कुमार अर्याल

मुख्य लेखापाल

कोषागार कन्चौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202582

14. यह कि द्वितीय पक्ष बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन तथा अन्य अनुमति जिनकी आवश्यकता निर्माण कार्य के लिये आवश्यक है, के लिये प्रार्थना पत्र देने के लिए अधिकृत रहेगा किन्तु उसके किसी भी भार की जिम्मेदारी प्रथमपक्षगण की नहीं होगी।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एल० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कम्पनी नामान्तरण
डायरेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल

9/7/13
मुख्य रोकड़िया
कोषागार कन्नौज

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202583

15. यह कि प्रथमपक्ष / भू–स्वामी निर्मित क्षेत्र के 28% (अट्ठाइस प्रतिशत) व द्वितीयपक्ष / विकासकर्ता 72% (बहत्तर प्रतिशत) के अपने–अपने अंश पर जो भी कर, जलकर, सीवर कर, विघुत कर, आयकर, सेवाकर, सम्पदाकर, आदि जो भी कर केन्द्र सरकार अथवा प्रांतीय सरकार अथवा स्थानीय निकाय

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम० एस० स्टोरेज एण्ड डेकोरेटर्स कम्पनी वाराणसी
प्रो० आनन्द कुमार अग्रहरि

शुल्क रोकड़िया

कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202584

द्वारा आरोपित किया जायेगा उसे उक्त अनुपात के अनुसार प्रत्येक पक्ष अदा करने का उत्तरदायी है व होगा। प्रस्तावित अपार्टमेंट में स्थित फ्लैट के विक्रय के बाद फ्लैट के क्रेतागण द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया जायेगा तथा सोसाइटी के नियम के तहत कामन सुविधाओं के रख–रखाव का खर्च

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एम०एम० एग्रोटेक एण्ड डेवलपर्स कम्पनी वास्ते
जरिये आनन्द कुमार अग्रवाल

9/2/13

मुख्य रीकॉर्डिंग

कोषागार चन्दौसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 202585

सोसाइटी द्वारा वहन किया जायेगा व सोसाइटी के नियम व शर्तों का अनुपालन करने के लिए फ्लैट के क्रेतागण बाध्य होंगे।

16. यह कि डेवलपर एग्रिमेंट में वर्णित अपार्टमेंन्ट के निर्माण के पश्चात उक्त अपार्टमेन्ट में द्वितीयपक्ष कोई अतिरिक्त तल का निर्माण नही करेगा और यदि जब कभी भी ऐसी कोई

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

एस० एस० स्टोरेज एण्ड डेवलपर्स कानपुर वाराणसी
प्रो० आनन्द कुमार अग्रवाल

9/2/13

हुलास रौतेड़िया

कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषागार कार्यालय
- 5 JUL 2013
चन्दौली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 649444

आवश्यकता अतिरिक्त तल बनाने की होगी तो प्रथमपक्ष की सहमति से ही कोई अतिरिक्त तल का निर्माण किया जा सकेगा।

17. यह कि प्रथम पक्षगण को प्राप्त होने वाला हिस्सा उसी मानदंड और स्तर का होगा जैसा द्वितीय पक्ष को प्राप्त होने वाले हिस्से का

K. Gaurif

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

5-6-93 3235

स्टाम्प विक्रय की तिथि ____ क्रमांक

स्टाम्प क्रय कर्ता का नाम ____

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता एस० एम० एन्टरप्राइजेज डेवलपर्स कम्पनी,

स्टाम्प की धनराशि ____ 5000

स्टाम्प विक्रेता का हस्ताक्षर

कार्यालय अधिकारी आनन्द कुमार

विक्रेता

लाइसेंस नं० 94

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

कोषागार कार्यालय -5 JUL 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 649445

होगा। दोनों पक्षों के हिस्सों का निर्माण एक रूप होगा।

18. यह कि इस अनुबन्ध से पक्षगण के बीच कोई साझेदारी नही उत्पन्न हो रही है।

19. यह कि प्रथम पक्षगण एवं द्वितीय पक्ष के मध्य इस इकरारनामें के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर विवाद का निस्तारण

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

२-६-९६ ३१४०

क्रमांक- ३१३०५

स्टाम्प विक्रय की तिथि [illegible]

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम [illegible]

स्टाम्प की धनराशि [illegible]

स्टाम्प विक्रेता [illegible]

[illegible]

स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नं० 74 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषागार कार्यालय
चन्दौली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 298540

(36)

सम्मिलित रूप से आरबिट्रेटर नियुक्त कर किया जायेगा। ऐसे किसी विवाद की स्थिति में 'आरबिट्रेशन एण्ड रिकन्सीलिएशन एक्ट 1996' के प्रावधानों के तहत उनका समाधान किया जायेगा।

20. यह कि इस दस्तावेज हाजा की तमाम शर्तें हम प्रथम पक्षगण व द्वितीयपक्षगण एवं उनके जायज

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

८-६-७३ ३९४१

स्टाम्प विक्रय की तिथि ८ क्रमांक ३९३८

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का पता

स्टाम्प की धनराशि

स्टाम्प विक्रेता हस्ता०

हस्ताक्षर - [illegible]

स्टाम्प विक्रेता

[illegible]

लाइसेन्स नं० 74 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषागार कार्यालय
- 5 JUL 2013
चन्दौली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 298541

(37)

कानूनी वारिसानों पर भी आयद व लाजिम होगी।

21. यह कि इस वास्ते डेवलपर्स एग्रीमेंट हम पक्षगणों ने पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर इसके प्रभाव कानूनी से पूरी तरह वाकिफ होते हुए लिख दिये कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

स्टाम्प विक्रय की तिथि [illegible]

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का [illegible]

स्टाम्प की [illegible]

स्टाम्प विक्रेता [illegible]

स्टाम्प [illegible]

[illegible] नं० 74 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषागार कार्यालय
- 5 JUL 2013
चन्दौली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 298542

(38)

अनुसूची–प्रथम

जायदाद हस्ब तफसील जैल

आराजी नं0 512 मि0 रकबा 0.789 हे0 में से 1 एकड़ 70 डिसमिल यानी 6878.2 वर्गमीटर स्थित मौजा गोधना, परगना धूस, तहसील व जिला चन्दौली।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

५-६-१३ ३१४३ / ३१३७

स्टाम्प विक्रय की तिथि ____ ५

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ____ अनुमति [illegible]

स्टाम्प क्रेता का ... नाम ____ [illegible]

स्टाम्प की धनराशि ____ १००

स्टाम्प विक्रय ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कार्यालय
- 5 JUL 2013
चन्दौली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 515235

(39)

पूरब : चकनाली

पश्चिम : जमीन प्रथम पक्ष

उत्तर : जमीन शबाना रहमान आदि

दक्षिण : जमीन अन्य का।

नोट :– स्टैम्प अदायगी के लिए मूल्यांकन, 1 एकड़ 70 डिसमिल यानी 6878.2 वर्गमीटर x 1400 = मु0 96,29,480/– रुपया यानी मु0

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

स्टाम्प विक्रय की तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता के

स्टाम्प की धनरा...

स्टाम्प विक्रेता

स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नं. 74

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कार्यालय
-5 JUL 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 515236

(40)

96,30,000/– रुपया पर स्टैम्प नियमानुसार 7 प्रतिशत मु0 6,74,100/– का दिया गया है। यद्यपि भूमि कृषि भूमि है ।

गवाहान :–

1. नाम व हस्ताक्षर : जे.पी. मिश्रा

पिता का नाम : स्व0 श्यामजी मिश्रा

पता : कमच्छा, वाराणसी

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

स्टाम्प विक्रय की तिथि

क्रमांक

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का

स्टाम्प की धनराशि

स्टाम्प विक्रय स्थान

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कार्यालय 28 JUN 2013 चन्दौली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 64 -

BP 013220

प्रथम पक्ष अनुसूचित/ अनुसूचित जन जाति

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

16/7/2013 2357

2356

15

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कार्यालय
28 JUN 2013
चन्दौली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-48-

BP 013219

के नहीं है, रूपये 6, 74, 340/- का स्टाम्प

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

16/7/2013 २३८६

डेवलपर्स बिल्डर्स
एण्ड कॉलोनाइजर्स एण्ड डेवलपर्स
कम्पनी वाराणसी द्वारा आनन्दकुमार
अग्रवाल

आनन्दकुमार

15

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AA 373733

अदा है ।

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

16/7/2013 2358/2356

15

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AA 373736

-21/-

सट्टा शुदा भूमि कृषिक है ।

K. Jain

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

16/7/2013 2359

2356

100

15

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कार्यालय -5 JUL 2013 चन्दौली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 147544

(45)

2. नाम व हस्ताक्षर : Manoj Phillips

पिता का नाम : Mr. Mukesh Phillips

पता : D 59/129 Sigra Varanasi

तहरीर तारीख :- 10.07.2013 ई0

मसविदाकर्त्ता : [signature] अधिवक्ता,

दीवानी कचहरी, ~~वाराणसी~~ चन्दौली।

टाइपकर्त्ता : D.K. Singh

For M.M. Agrotech & Developers

Partner

आज दिनांक 16/07/2013 को

बही सं 1 जिल्द सं 4528

पृष्ठ सं 89 से 178 पर क्रमांक 8260

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जे0 के0 यादव , प्रभारी

उप निवन्धक,चन्दौली

चन्दौली

16/7/2013